प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत संसद के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2008–09 से 2016–17 की अवधि के लिए 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण' पर लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

यह प्रतिवेदन वित्तीय सेवाओं का विभाग, वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित मिसिलों और दस्तावेजों की जाँच का परिणाम है।